न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद सख्या 68 / 2026 अन्तर्गत धारा 88, 92 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
मेघराजसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. खेतसिंह पुत्र रामसिंह 3. गोपालसिंह पुत्र रामसिंह 4. तेजमालसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपुत, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. गेनाराम पुत्र जोगाराम 6. धनाराम पुत्र जोगाराम जाति जाट, निवासी शिव (प्रतिवादी सख्या 6 नाबालिग का वारिश प्रतिवादी सख्या 5) 7. रामसिंह पुत्र विरधसिंह – फौत 8. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा शिव 9. जुनीपर ग्रीन स्टेलर प्रा. लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि सुनिल कुमार बोड़ा रूम नम्बर 103, उदय पैलेस होटल, शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

उपस्थित :- अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 01.06.2026

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा शिव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 617 रकबा 26.2722 हैक्टेयर तथा मौजा जोरानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 826 रकबा 21.9177 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्यास 1 से 4 को उनके पिता के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी का विरासती नामांतरकरण वादी के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भरवाया गया, जिसमें वादी का गलत घरेलु व आम बोलचाल का नाम मेघसिंह पुत्र रामसिंह का अंकन करवा दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम मेघराजसिंह पुत्र रामसिंह है। वर्तमान मे वादी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से उसे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी, पैन कार्ड, जन आधार, मतदाता पहचान पत्र आदि में उनका सही एवं वास्तविक नाम मेघराजसिंह पुत्र रामसिंह दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड मे त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओ का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम मेघसिंह पुत्र रामसिंह के स्थान पर सही नाम मेघराजसिंह पुत्र रामसिंह घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वादी के नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। शेष प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है। वादी स्वयं द्वारा उपस्थित होकर साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पत्र पेश किया गया। दौरान

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड मे शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम मेघसिंह पुत्र रामसिंह के स्थान पर सही नाम मेघराजसिंह पुत्र रामसिंह होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम मेघसिंह पुत्र रामसिंह दर्ज है, जबकि वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादी का नाम मेघराजसिंह पुत्र रामसिंह दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वादी के नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र भी पेश किया गया है। वादी अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम मेघसिंह पुत्र रामसिंह के स्थान पर सही नाम मेघराजसिंह पुत्र रामसिंह दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा शिव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 617 रकबा 26.2722 हैक्टेयर तथा मौजा जोरानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 826 रकबा 21.9177 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम मेघसिंह पुत्र रामसिंह के स्थान पर सही नाम मेघराजसिंह पुत्र रामसिंह होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 01.06.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)